



जे.पी.आर.5- 873

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड  
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता(वा0)

कमरा नं0 229, विद्युत भवन, ज्योतिनगर, जयपुर-302005

फोन नं0 - 0141-2747041, फैक्स नं0 - 0141-2744803

ईमेल - se\_comml@yahoo.in

क0 जेपीडी/अधी.अ. (वा.)/सी-1/एफ. /प्रे0 720 जयपुर, दिनांक- 28.06.2017

## आदेश

विषय : ग्रामीण गैर आबादी क्षेत्र में घरेलु कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में।

ग्रामीण गैर आबादी क्षेत्रों में छितराये हुये आवासों को कनेक्शन दिये जाने हेतु आदेश संख्या-जेपीआर.5-858 दिनांक 30.5.2017 द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। जिसके अन्तर्गत 11केवी लाईन का विस्तार कर के उचित क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाकर ट्रांसफार्मर से 100 मीटर की परिधि में स्थित आवासों को 3 या अधिक के समूह में कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है।

इसी क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि पूर्व में जारी आदेश क्रमांक जेपीआर.5-837 दिनांक 2.02.2017 के तहत यदि कोई आवेदित स्थल स्थापित एलटी लाईन से 100 मीटर की दूरी तक स्थित हो तो स्थापित ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाकर (यदि आवश्यक हो) कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान वर्तमान में भी लागू है एवं साध्य होने पर उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार कनेक्शन दिये जा सकते हैं।

आज्ञा से

(ए.के. खण्डेलवाल )

मुख्यअभियन्ता (मुख्यालय)